न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/06/2021	2021/164	08.10.2021	31.05.2022

01—बलबीर पुत्र श्री कालिया जाति जाट—मृतक
01/01—ओमप्रकाश पुत्र स्व0बलबीर
01/02—महताब पुत्र स्व0बलबीर
01/03—ईश्वर पुत्र स्व0बलबीर
01/04—सतीश कुमार पुत्र स्व0बलबीर
01/05—धर्मवीर पुत्र स्व0बलबीर
01/06—नितेश पुत्र स्व0बलबीर
जातियान जाट निवासीन ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
02—शुभराम पुत्र छीतरमल जाति जाट निवासी ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
03—भरतसिंह पुत्र दूघा जाति जाट निवासी ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
04—किशोर पुत्र पालाराम पुत्र सुण्डाराम जाति जाट निवासी गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
05—धीसाराम पुत्र सुण्डाराम जाति जाट निवासी गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

—प्रार्थीगण

बनाम

01—घन्नी पत्नी स्व0हजारी लाल जाति खटीक निवासी गादूवास तहसील मुण्डावर।
02—चेयरमैन भूमि आवंटन सलाहकार समिति मुण्डावर जिला अलवर पदेन तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी किशनगढवास जिला अलवर।
03—तहसीलदार भू अभिलेख अधिकारी मुण्ड़ावर जिला अवलर।

—असल प्रार्थीगण

04—मीर सिंह पुत्र छीतरमल
05—शुगना पुत्री छीतरमल
06—सुरेश पुत्री छीतरमल
07—राजबाला पुत्र छीतरमल जाति जाट निवासीन ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
08—भगवान सिंह पुत्र दूघा पुत्री थावरिया।
09—चचतर सिंह पुत्र दूघा पुत्री थावरिया।
10—दयाराम पुत्र दूघा पुत्री थावरिया जाति जाट निवासीया ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
11—लक्खी पुत्र पालाराम पुत्र सुण्ड़ा।
12—कमला पुत्री पालाराम पुत्र सुण्डा।
13—बिमला पुत्री पालाराम पुत्र सुण्ड़ा।
14—सुगन्ती पुत्री राधेकिशन पुत्र पालाराम पुत्र सुण्ड़ा।
15—सीताराम पुत्र राधेकिशन पुत्र पालाराम पुत्र सुण्ड़ा।
16—इन्द्रवंती पुत्र राधेकिशन पुत्र पालाराम पुत्र सुण्डा जातियान जाट निवासीन गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
17—भूपसिंह पुत्र चांदबाई पुत्री सुण्डा जाति जाट निवासी रामोली तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा)।

तरतीबी अप्रार्थीगण।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(1) भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू0आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.09.1975 भू आवंटन सलाहकार समिति तहसील मुण्डावर पदेन उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास।

उपस्थितः—
01—श्री अनिल गुप्ता
02—श्री श्योराज सिंह नरूका

वकील प्रार्थी।
वकील अप्रार्थी।

निर्णय

वकील प्रार्थीयान ने यह प्रार्थना पत्र भू आवंटन सलाहकार समिति मुण्डावर पदेन उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.1975 जिसके द्वारा ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 638/14 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 803/13 बिस्वा का राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत अप्रार्थी संख्या—01 को भूमि आंवटन की गयी है, से व्यथित होकर पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये सम्मन तलब किया गया एंव अधिनस्थ अदालत का मूल रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दौरान बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 957 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्ड़ावर में स्थित है, जो दौराने हाल बंदोवस्त सम्वत 2072 में क्रमशः साबिक आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 14 बिस्वा व 803 रकबा 8 बिस्वा से कायम हुआ है, इसी प्रकार सम्वत् 2042 में साबिक आराजी ख0नं0 638 रकबा 14 बिस्वा व ख0नं0 803 रकबा 8 बिस्वा क्रमशः साबिक आराजी ख0नं0 470 रकबा 14 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 566 रकबा 8 बिस्वा में से कायम किये गये है। साबिक आराजी खसरा नं0 638 रकबा 14 बिस्वा व ख0 नं0 803 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर है। आराजी सम्वत् 2042 के बन्दोवस्त पूर्व कालिया पुत्र चुन्ना 1/2 भाग एंव थावरिया पुत्र डूंगा उर्फ मोहरसिंह 1/4 भाग व सुण्ड़ा उर्फ मेहरचंद पुत्र गैंदा 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार के, जो अपने जीवनकाल में हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त रहे है, जैसा कि साबिक राजस्व रिकार्ड से साबित है। कालिया पुत्र चुन्ना व थावरिया पुत्र डूंगा पुत्र उर्फ नोहरसिंह एंव सुण्डा उर्फ महेश चंद पुत्र मेहरचंद जो कि प्रार्थी असल एंव प्रार्थी तरतीवी के बुर्जगान है। जिसके गुजरने के बाद प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण उक्त आराजी खसरा नम्बर 766 रकबा 0.18 है0 एंव आराजी खसरा नम्बर 957 रकबा 0.09 है0 पर अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है, जो आराजी हाल खसरा नम्बर 766 रकबा 0.18 है0 आराजी खसरा नम्बर 957 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर दौराने हाल बंदोवस्त संवत् 2072 में क्रमशः साबिक आराजी ख0नं0 638 रकबा 14 बिस्वा व 803 रकबा 8 बिस्वा क्रमशः साबिक आराजी ख0नं0 470 रकबा 14 बिस्वा एवं साबिक आराजी ख0नं0 566 रकबा 8 बिस्वा में कायम किये गये है। जिस आराजी पर कभी भी आवंटन से पूर्व व आवंटन के बाद अप्रार्थी संख्या—01 का कब्जा काश्त नही रहा। वर्तमान में उसका कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। अप्रार्थी संख्या—2 के द्वारा जो आवंटन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अप्रार्थी संख्या–01 धन्नी देवी को किया गया, जो विधि विरुद्ध किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आराजी मुतनाजा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने से पूर्व तथा लागू होने के वक्त व उसके बाद प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के बुर्जुगान अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार थे उनके गुजरने के बाद वारिस काबिज काश्तकार है। जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अप्रार्थी संख्या–01 को आज तक दखल मौके पर नहीं दिलाया गया है। आराजी मुतनाजा को आवंटन करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या–02 के द्वारा न तो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया और न ही उक्त आवंटन आदेश की किसी प्रकार से सार्वजनिक सूचना गांव में प्रकाशित कराई गई। जिसके आवंटन आदेश काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की बुजुर्गाी एवं पुश्तनी खातेदारी कब्जे काश्त खातेदार की आराजी रही है, जो पीढी दर पीढी वारिसों को प्राप्त होती रही है, जिसके तहत वर्तमान में प्रार्थीगण विवादित आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार है। बंदोबस्त विभाग को राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने कोई अधिकार नहीं था, बंदोबस्त विभाग को पूर्व रिकार्ड की पुनरावृति करनी होती है, लेकिन बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के कब्जे एंव मौके के खिलाफ तथा साबिक रिकार्ड के विपरीत विवादित आराजी को सम्वत् 2029 में सिवायचक दर्ज कर दिया गया। जिस कारण से विवादित आराजी उक्त सम्वत् में बनी जमाबंदी तथा उसके आगे जमाबंदी में सिवायचक चली आ रही है। विवादित आराजी का उक्त अंकन कब्जे व मौके के खिलाफ तथा साबिक रिकार्ड के विपरीत होने के कारण प्रार्थीगण के हक हकूकों के प्रति बातिल बेअसर है, तथा अप्रार्थी संख्या–01 को किया गया आवंटन अनुचित एवं अवैध है, जो निरस्त योग्य है। आवंटित आराजी पर आवंटन के पश्चात नियमानुसार आवंटी को आवंटित आराजी पर दखल दिलाया जाता है, लेकिन आज तक आवंटी अप्रार्थी संख्या–01 को दखल नहीं दिलाया गया है। आराजी मुतनाजा पर आज ही सदैव से ही पहले प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के बुर्जुग के काश्त में भी एवं उसके बाद प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में थी। आवंटी व अप्रार्थी संख्या–02 द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की गई। अतः प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाकर तहत अदालत आवटन सलाहकार समिति मुण्डावर द्वारा पारित आदेश दिनाक 09.09.1975 को निरस्त फरमाया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत के समर्थन में नजीर आर.आर.टी. 2017 पेज न0 664 व आर.आर.डी. 2013 पेज न0 212 पेश की गयी है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित पैरावाईज तथ्यों को नकारते हुये निवेदन किया कि कालिया पुत्र चुन्ना 1/2 भाग , थावरिया पुत्र डूंगा, सुण्डा उर्फ नेकचंद पुत्र सेवा 1/4 भाग गलत दर्ज है। साबिक राजस्व रिकॉर्ड के नाम दर्ज नहीं है। सही तथ्य इस प्रकार है कि संवत् 2017 व सेटलमेन्ट संवत् 2024 के राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी खसरा नम्बर 766 रकबा 0.18 है0 957 रकबा 0.9 है0 पर कभी कब्जा और काश्त नहीं रहो है और न ही मौके पर कब्जा व काश्त है एंव जो कालिया व थावरिया व सुण्डा का सजरा दिया गया है, जिन खसरे में इस प्रा0पत्र में कोई लाभ प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि वक्त अलॉटमेन्ट दिनांक 09.09.1975 को उक्त भूमि धन्नो पत्नी हजारी को अलॉट की गई थी। वक्त अलॉट के आज तक उक्त विवादित भूमि पर कब्जा व काश्त में रही है। आज भी मौके पर कब्जा व काश्त है। हाल आराजी खसरा नम्बर 766 रकबा 0.18 है0 957 रकबा 0.09 है0 वक्त अलॉट दिनांक 09.09.1975 से ही अप्रार्थी संख्या 1 धन्नो काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है और मौके पर काबिज है, व राजस्व रिकार्ड में अंकन है। आवंटन विधिवत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व व उसके बाद प्रार्थीगण का एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। राजस्व रिकार्ड में अंकन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

3– श्रीमान तहसीलदार महोदय म...

नहीं है। यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या–1 को आज तक मौंके पर दखल नहीं दिया गया हो। जबकि सही तथ्य इस प्रकार है, कि अलोटमेन्ट के बाद विधिवत व नियमानुसार मौंके पर अप्रार्थी संख्या–1 को दखल दिया गया था। दिनांक 11.9.1975 को अप्रार्थी संख्या–1 को विधिवत व नियमानुसार दखल दिया गया है। आवंटन नियमानुसार किया गया था। आवंटन से पूर्व सूचना जारी की गई जिसमें मौंके पर कमेटी का चेयरमेन उपखण्ड़ अधिकारी मय समिति के सदस्य जलसेआम में कौम्प में उपस्थित थे। अप्रार्थी वृद्व विधवा महिला है, जिसका कृषि कार्य मुख्तयारआम धन्नीराम पुत्र रमेशचन्द के द्वारा करवाया जा रहा है। अतः प्रार्थीयान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 14 (4) निरस्त फरमाया जावे तथा तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 09.09. 1975 को बहाल रखा जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत के समर्थन में नजीर आर.आर.डी. 2020 पेज न0 304, आर.आर.डी. 2001 पेज न0 437, आर.आर.डी.2003 पेज न0 138 व आर.आर.डी. 2004 पेज न0 294 पेश की गयी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। हमनें तहत अदालत की मूल पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया। अप्रार्थी संख्या 1 को भू आवंटन सलाहकार समिमि मुण्डावर पदेन उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा आदेश दिनांक 09.09.1975 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 638/14 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 803/13 बिस्वा ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर में राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत भूमि आंवटन की गयी है, जिसकी कार्यवाही विधिवत की गयी है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज का उल्लेख किया गया है। जिसके संबंध में उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही समझते है, इस हेतु चाहे तो प्रार्थीयान सक्षम अधिकारीता वाले न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनाक 31.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/05/22

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)